# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर जिला अलवर

**मिसल नं.** 2/54/2022

**तारीख रजू** 25/2/2022

सरोज **बनाम** बहादुरसिंह वगैरा

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 25.02.2022 | वकील प्रार्थी उपस्थित। यह प्रार्थना पत्र 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वकील प्रार्थी ने मूल वाद के साथ पेश किया। प्रार्थना पत्र की ताईद मे वकील सायला ने शपथ पत्र ,नकल जमाबंदी हाल पेश की व अप्रार्थीगण को पाबंद कराने का निवेदन किया वकील सायल को एक पक्षीय सुना गया व पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया । प्रथम दृष्टया केस व सुविधा का संतुलन एवं ना पूर्ति होने वाली क्षति सायल के, पक्ष में बखूबी सावित है।<br>अतः अप्रार्थीगण को जर्ये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आगामी पेशी/तारीख तक पाबंद किया जाता है कि आराजी खसरा नं0 264, वाके ग्राम सहजपुरा तहसील कठूमर के विवादीत आराजीयात रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति वनायें रखे। चूंकि एक्स पार्टी स्थगन जारी किया जा रहा है ऐसे में अप्रार्थी में सें किसी के उपस्थित होकर वहस के लिऐ कहने पर वकिल प्रार्थीगण को अनिवार्यत बहस करनी होगी, अन्यथा एक्सपार्टी स्थगन स्वतः निरस्त समक्षा जावें।<br>अप्रार्थीण को नोटिस हो कि उक्त आदेश बाबत् कोइ उज्र हो तो दिनांक 21.03.2022 को पेश करें कि क्यों ना उक्त आदेश को दावा के निर्णय तक स्थाई कर दिया जावे।अप्रार्थी जरिये रजि0 डाक नोटिस तलब हो पत्रावली दिनांक 21.03.2022 को वास्ते तलबी अप्रार्थी पेश हो।<br><br>उपखण्ड अधिकारी<br>कठूमर (अलवर)<br>उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर) | |
| 8.3.22 | पत्रावली प्रार्थी गुलाबचन्द वगै० के प्रार्थना पत्र धारा 152 व 153 CPC पर नियत दिनांक से आज तलब की गई। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि आ.ख. नं० 264 वाके ग्राम सहजपुरा बाबत वादीनी सरोज, पूरनसिंह ने प्रतिवादीगण गुलाब वगै० के विरुद्ध दावा हुक्म इम्तनाई दवामी मय स्थगन प्रार्थना पत्र के पेश किया जिस स्थगन प्रार्थना पत्र को न्यायालय दीनांक<br><br>PTO | |

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | अहक... की ताम... |
|---|---|---|
| | द्वारा दिनांक 22.2.22 दोनों पक्षों को सुन कर प्रार्थना पत्र 424 RTAHA खारिज कायम किया गया आदेश दिनांक 22.2.22 के विरुद्ध सरोज पुरणसिंह वादीनी ने राजस्व अपील अधिकारी के न्यायालय में अपील पेश की हुई है जिसमें आगामी तारीख पेशी 8.3.22 नियत है इसके बाद वादीनी सरोज ने बहादुर सिंह वगैरह के विरुद्ध दावा तकसीम व हुक्म इम्तनाई दवामी स्थगन प्रार्थना पत्र के साथ न्यायालय श्रीमान गुमराह करने व असलियत को छुपा कर पेश किया है जिसमें दिनांक 25.2.22 को न्यायालय श्रीमान से स्थगन आदेश खिलाई एवं मौके की स्थिति यथावत बनाये रखे जाने बाबत जारी हुआ जिस स्थगन आदेश से अप्रार्थीगण के हक हकूक पर विपरीत असर पड़ता है दिनांक 25.2.22 को जारी स्थगन आदेश संशोधन कर— निरस्त किये जाने का निवेदन किया वकील प्रार्थी को सुना गया वकील अप्रार्थी को बार बार आवाज दिलाई गई कोई उपस्थित नहीं आया तथा पत्रावली का अवलोकन किया एवं प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न आदेश दिनांक 22.2.22 तथा 25.2.22 का अवलोकन किया। वादीनी सरोज पुरण सिंह का स्थगन प्रार्थना पत्र पी.ख.नं. 264 बाबत दिनांक 22.2.22 को जारी स्थगन आदेश में सुविधा का संतुलन व ना पूर्ति होने वाली क्षति अप्रार्थीगण के हक में बनना प्रतीत होता है जिसमें वादीनी का प्रार्थना पत्र पर जारी स्थगन आदेश दिनांक 22.2.22 खारिज कायम किया गया वादीनी सरोज ने न्यायालय को गुमराह कर इसी ख० नं 264 बाबत पुन दावा पेश कर स्थगन आदेश अदालत को गुमराह कर जारी करवाया | |

PTO

| | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| | जबकि 22.2.22 के आदेश मे: सरोज वादीनी को प्रथम दृष्टया केस व सुविधा का संतुलन एवं ना पूर्ति होने वाली क्षति साबित करने मे असफल रही थी जिस कारण वादीनी का प्रा प्रार्थना पत्र 42 खारिज किया गया परन्तु वादीनी ने अदालत को गुमराह कर नवीन दावा। प्रार्थना पत्र पेश किया गया ऐसी स्थिति मे प्रार्थना पत्र 42 मे स्थगन आदेश दिनांक 23/4/22 को निरस्त का निरस्त किया जाता है। पत्रावली फैसल हुक्म होकर नम्बर से कम हो मूल वाद के सलग्न रहे सुनाया<br><br>उपखण्ड अधिकारी<br>कठूमर (अलवर) | |